

## आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-01/आ0प्र0, दिनांक 11.04.16, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि-लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण उप शीर्ष-0002 जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड-एन2245021120002 मद में 6000000.00 (साठ लाख) रुपये का प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-842/आ0प्र0 दिनांक-18.08.2016 द्वारा बाढ़ प्रवण अंचलों को उपावटित किया जा चुका है।

पुन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-99(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक-27.08.2016 द्वारा उक्त मद में मो0-10000000.00 (एक करोड़) रुपये का प्राप्त आवंटन को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-967/आ0प्र0, दिनांक 30.08.2016 द्वारा प्रभारी उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को उपावटित की गई है में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नरूपेण उपावटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02, बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण उप शीर्ष-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण विपत्र कोड-एन2245021120002 मद में से विकलनीय होगा।

(3) मांग संख्या-39

विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा

क्र0	अंचलाधिकारी का नाम	मद का नाम		
		पूर्व उपावटित राशि	वर्तमान उपावटित राशि	कुल योग
01	02	03	04	05
1	नजारत उप समाहर्ता, पटना।	-	123190.00	123190.00
2	प्रभारी उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना	10000000.00 (-) 123190.00 9876810.00		9876810.00
3	अंचलाधिकारी, दानापुर	500000.00	-	500000.00
4	अंचलाधिकारी, मनेर	500000.00	-	500000.00
5	अंचलाधिकारी, पटना सदर	1000000.00	-	1000000.00
6	अंचलाधिकारी, पुनपुन	300000.00	-	300000.00
7	अंचलाधिकारी, फतुहॉ	300000.00	-	300000.00
8	अंचलाधिकारी, दनियावाँ	250000.00	-	250000.00
9	अंचलाधिकारी, खुशरूपुर	250000.00	-	250000.00
10	अंचलाधिकारी, अथमलगोला	300000.00	-	300000.00
11	अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर	500000.00	-	500000.00
12	अंचलाधिकारी, वेलछी	300000.00	-	300000.00
13	अंचलाधिकारी, पंडारक	500000.00	-	500000.00
14	अंचलाधिकारी, घोषवरी	300000.00	-	300000.00
15	अंचलाधिकारी, मोकामा	300000.00	-	300000.00
16	अंचलाधिकारी, बाढ़	500000.00	-	500000.00
17	अंचलाधिकारी, बिहटा	200000.00	-	200000.00
	<b>कुल योग</b>	<b>15876810.00</b>	<b>123190.00</b>	<b>16000000.00</b>

(4) यह आवंटन बाढ़ के मद्देनजर उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि राशि के 75 प्रतिशत व्ययोपरान्त ही अतिरिक्त राशि की आधियाचना की जाय।

(5) आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है किसी भी अन्य में मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

फोन नं० 0612-2219116(क०)

फैक्स नं०-0612-2218900

E-mail: dismgmtpatna@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

- (6) आवंटित की गई सहाय्य अनुदान की राशि की निकासी **BTC Form-42** में की जाय। निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र **BTC Form-42A** में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र अचूक रूप से दिनांक 15.03.2017 तक शीघ्र भेज दिया जाय।
- (7) पूर्व आवंटित राशि जिसकी निकासी असीम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15.03.2017 तक उसी कोषागार में जमा करा दिया जाय।
- (8) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघुशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण बर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (9) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561बी0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- (10) यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यापन दिनांक 15.03.2017 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।  
अनुलग्नक-मूल आवंटन पत्र की प्रति।

६८)

जिला पदाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापांक.....1063/आ0प्र0, दिनांक.....14/09/16

- प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:-  जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त उपावंटन आदेश को पटना जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।  
प्रतिलिपि:- जिला जन संपर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को पत्रांक-99(स0अनु0)/आ0प्र0 दिनांक-27.08.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।  
प्रतिलिपि:- आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ke  
14/9  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।

up/ shastri